भाग 2-अ

प्रस्तरः-उत्तराखण्ड उपखनिज नीति 2001 तथा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 में कार्यदायी संस्थाओ द्वारा, जैसे लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग इत्यादि उत्तराखण्ड में कार्यरत अन्य सरकारी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर इत्यादि) के प्रयोग पर रायल्टी की कटौती संबंधित ठेकेदारों सेकिए जाने का प्रावधान नहीं होने के बावजूद, रॉयल्टी की अनियमित रूप से कटौती किया जाना ।

निर्देशक भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई,उद्योग निदेशालय, उत्तराखंड देहरादून के अभिलेखो की लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि कार्यदायी संस्थाएं जैसे लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग इत्यादि उत्तराखण्ड में कार्यरत अन्य सरकारी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर इत्यादि) के प्रयोग पर देय रायल्टी की कटौती संबंधित ठेकेदारों से कर राज्य के रायल्टी लेखाषीर्शक में जमा की जाती है जिससे राज्य को उपखनिज पर रायल्टी के रूप में प्राप्त होते हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य को सरकारी कार्यदायी संस्थाओं लोक निर्माण , सिचाई निर्माण कार्य , भवन निर्माण से जुडे विभाग इत्यादि से संबंधित ठेकेदारों के माध्यम से निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिज के सापेक्ष ठकेदारों के बिलों से रायल्टी की कटौती कर रायल्टी लेखा-षीर्शक में राजस्व के रूप में उक्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जमा करायी गयी।

राज्य में कार्यरत कार्यदायी संस्थाएं जैसे लोक निर्माण विभाग, सिचाई विभाग, अन्य निर्माण विभाग उत्तराखण्ड उपखनिज नीति 2001 या उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के किन नियमों के अन्तर्गत संबंधित ठेकेदारों से निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिज पर रायल्टी की कटौती करता है।

उक्त संस्थाएं ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं है। उक्त संस्थाएं रायल्टी काटने हेतु अधिकृत नहीं है तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गये, क्योकि अनधिकृत तरीके से रायल्टी की वसूली किया जाना कानून के विपरीत है।

जैसा कि खनिज इकाई को ज्ञात है कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिज पर लागू रायल्टी यदि संबंधित ठेकेदार द्वारा फार्म एम0एम0-11 या फार्म जे0 उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो अधिशासी अभियंता/सक्षम अधिकारी द्वारा ठेकेदारों के बिलों से रायल्टी काटकर रायल्टी लेखा-षीर्शक में जमा किया जाता है जबकि उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2005 तथा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन , परिवहन, एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2005 के प्रावधानों के अनुसार अवैध परिवहनकर्ता से अर्थदण्ड की धनराशि ` 2,00,000/- तक एवं देय रायल्टी का 5 गुना धनराशि वसूल की जानी चाहिए, जो नहीं की जा रही है।

उपर्युक्त बिन्दु के क्रम में निर्माणदायी/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिज के प्रयोग के समर्थन में संबंधित ठेकेदार द्वारा फार्म एम0एम0-11 एवं फार्म जे- उपलब्ध कराने जाने पर रायल्टी की कटौती सक्षम प्राधिकारी द्वारा ठेकेदारों के बिलों से नही काटी जाती है। ऐसे प्रकरण में बाद में यह पाया जाता है कि ठेकेदार द्वारा कार्यदायी संस्था को फार्म एम0एम0-11 व जे0 उपलब्ध कराया गया था वह गलत है, अर्थात एक ही फार्म दो या अधिक खण्डों में फोटोकापी लगा देता है या ठेकेदार के नाम

का उक्त फार्म नहीं है या उपखनिज का Destinationजो फार्म में इंगित है वह वास्तविक Destination.जो निर्माण स्थल है मिलान नहीं होती है या अन्य कारण ठेकेदार पर निमयानुसार ` 2,00,000/- लाख तक अर्थदण्ड व रायल्टी का 05 गुना धनराशि वसूली सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार से करके जमा की जानी चाहिए।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा कार्यदायी संस्था की लेखा-परीक्षा में पाया गया कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिज पर देय रायल्टी ठेकेदारों से फार्म - एम0एम011 या फार्म-जे0 नहीं उपलब्ध कराने पर उनके बिलों से बगैर अर्थदण्ड अधिरोपित किये हुए, सामान्य दर से रॉयल्टी की गणना कर कटौती की जाती है तथा रायल्टी लेखा शीर्ष में जमा की जाती है। साथ ही ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये फार्म एम0एम0-11 या फार्म-जे0 गलत/अनियमित पाया जाता है। तत्पश्चात भी ठेकेदार से बगैर अर्थदण्ड अधिरोपित किये मात्र सामान्य रायल्टी की दर से गणना कर सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों से रॉयल्टी की कटौती की जाती है।

उपरोक्त दोनों प्रकार के उदाहरणों से सम्बन्धित हमारे कार्यालय का दो Draft Paragraph जिसमें एक का मूल्य ` 237.10 करोड़ एंव ` 41.16 लाख + ` 14.08. करोड़ें penalty से सम्बन्धित उत्तर हेतु आपके कार्यालय में रखा हुआ है। अतः ऐसे प्रकरणों में देय रायल्टी व उस पर लागू अर्थदण्ड के सम्बन्ध में स्पष्ट करें।

कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य में प्रयुक्त उप-खनिज के प्रयोग पर जब सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा न ही फार्म-एम0एम0 11 या फार्म-जे0 उपलब्ध कराया जाता है न ही यह बताना/घोषणा की जाती है कि सम्बन्धित प्रयुक्त उप-खनिज का स्त्रोत क्या है? ऐसे में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदारों से तत्समय रायल्टी अधिकतम दर रू0 194.30 (वर्तमान में) से गणना कर कटौती की जानी चाहिए।

राज्य में लागू उपखनिज नीति तथा उपखनिज नियमावली में यह प्रावधान नहीं है कि राज्य में कार्य कर रहे कार्यदायी संस्थाएं जैसे लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग इत्यादि द्वारा निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों के प्रयोग पर सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों से रायल्टी काटकर राज्य सरकार के रायल्टी लेखा-शीर्ष में जमा किया जाए, जबकि उक्त संस्थाओं द्वारा ऐसा किया जा रहा है।

उक्त के सन्दर्भ में कानूनी पक्ष स्पष्ट करें, यदि वर्तमान या भविश्य में इसे लेकर कोई ठेकेदार उसके बिलों से की गयी रायल्टी के सम्बन्ध में न्यायालय में जाता है खनिकर्म इकाई, उद्योग विभाग का क्या कथन रहेगा तथा उसका कानूनी आधार क्या होगा?

चूंकि उपर्युक्त नीति/नियमावली में यह प्रावधान नहीं है कि कार्यदायी संस्थायें निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिज के प्रयोग पर ठेकेदार द्वारा विधिक कार्य एम0एम0-11 या फार्म-जे0 उपलब्ध नहीं कराने पर आपके विभाग (खनिकर्म इकाई) को सूचित करेगा इस कारण ऐसे ठेकेदारों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित नहीं किया जाता है।

फार्म एम0एम0-11 या फार्म-जे0 के अतिरिक्त अन्य कोई खरीद बिक्री बिल, वन ट्रांजिट रसीद, इत्यादि अभिलेख से साबित नहीं होता है कि उप-खनिज की देय रायल्टी जमा है।

क्या खनिकर्म इकाई द्वारा शासन को जानकारी दी गई कि राज्य में कार्यरत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ठेकेदारों के बिलों से रायल्टी को कटौती व जमा की जा रही है। जिसका उप-खनिज नीति/नियमावली में कोई प्रावधान नहीं है जिसके कारण कानूनी पक्ष का प्रकरण बनता है।

कार्यदायी संस्थाओं जैर्स लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग इत्यादि द्वारा निमार्ण कार्य में प्रयुक्त उपखनिज के प्रयोग पर संबंधित ठेकेदारों के बिलों से जिन्होनें प्रपत्र एम0एम0-11 तथा प्रपत्र-जे उपलब्ध नहीं कराया या अनियमित प्रस्तुत किया, सामान्य दर बगैर अर्थदण्ड अधिरोपित किये रायल्टी की कटौती व जमा किया जा रहा है।

इसी क्रम में उन विभागों की हमारे कार्यालय द्वारा की गयी लेखा परीक्षा में रायल्टी नहीं काटने या कम काटने पर अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं करने या उपखनिज का स्त्रोत ज्ञात नहीं होने पर अधिकतम दर से रायल्टी काटा जाना इत्यादि से सम्बन्धित लेखा परीक्षा आपत्ति के साथ प्रस्तर किये गये है।
क्या खनिकर्म इकाई द्वारा उपरोक्त रायल्टी काटे जाने तथा जमा किये जाने के सम्बन्ध में उक्त कार्यदायी संस्थाओं एवं लेखा-परीक्षा कार्यालय से विवरण प्राप्त कर नियमानुसर रायल्टी को नियमित किये जाने की कार्यवाही करेगा?

क्या भविश्य में उपरोक्त कार्यदायी संस्थाओं को अवैध खनन, परिवहन के सम्बन्ध में स्पश्ट निर्देष जारी किया जायेगा जिससे राजस्व (रायल्टी के रूप में) की संपूर्ण रक्षा की जा सकें।

उपखनिज की बिक्री बगैर खनिकर्म इकाई में रजिस्ट्रेशन कराये अर्थात लाईसेंस प्राप्त किये बगैर कोई व्यक्ति राज्य में बिक्री कर सकता है?

उपखनिज का कोई पट्टाधारक या अनुज्ञाधारक या ब्यौहारी यदि किसी को बिक्री (Sale) करता है तो क्या उसे प्रपत्र एम0एम0-11 या प्रपत्र-जे जारी किये बगैर कर सकता है?

कार्यदायी संस्था जैस लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, इत्यादि निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिज के प्रयोग पर संबंधित ठेकेदारों के बिलों से रायल्टी की कटौती कर तथा राज्य के खजाने में जमा करते है यदि यह उत्तराखण्ड उपखनिज नीति/नियमावली के विरूद्ध है ऐसे परिस्थिति में खनिकर्म इकाई द्वारा ऐसे कार्यदायी संस्थाओं के विरूद्ध विधि कार्यवाही करेगी ?

उपरोक्त कार्यदायी संस्थायें जो उपखनिज पर रायल्टी की ठेकेदारों के बिलों से कटौती करती है उसमें 2 प्रतिषत स्टाम्प शुल्क, 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति धनराशि, 25 प्रतिशत न्यास निधि व अर्थदण्ड की वसूली नहीं करती है नहीं जमा करती है। इस सम्बन्ध में टिप्पणी करें कि इस करण राजस्व की हानि हो रही है व खनिकर्म द्वारा किये जाने वाले/की गई कार्यवाही से अवगत करायें।

उक्त सभी प्रकरण इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर मे बताया गया कि-

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 1561/VII-1/80-ख/2016, दिनांक 30 सितम्बर 2016 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बौल्डर) चुगान नीति, 2016 के बिन्दु संख्या 23 (2) मे प्राविधानित है कि "सरकारी निर्माण इकाईयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, डी0जी0बी0आर0 (ग्रेफ), सिंचाई विभाग आदि सड़क, पहुच मार्ग आदि बनाये जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्डर, पत्थर, बजरी आदि को निर्माण कार्य मे उपयोग हेतु निर्माण आंगणन (Estimate) की जॉच/निरीक्षण व मूल्यांकन उप जिलाधिकारी अध्यक्षता मे गठित जनपद स्तरीय समिति से कराते हुए उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम-68 के अन्तर्गत नियम-72 को शिथिल करते हुए नियमानुसार अनुज्ञा पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया जायेगा"

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 1561/VII-1/80-ख/2016, दिनांक 30 सितम्बर 2016 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बौल्डर) चुगान नीति, 2016 के बिन्दु संख्या 23 (6) मे प्राविधानित है कि "राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, डी0जी0बी0आर0 (गेफ), बी0आर0ओ0, आई0टी0बी0पी0 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य हेतु रिक्त राजस्व नदी उपखनिज क्षेत्रों मे चुगान पट्टा स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र एम0एम0-1 मे आवेदन शुल्क सहित आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय मे प्रस्तुत करने पर गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर

पर्यावरणीय अनुमति हेतु चुगान पट्टा का आशय पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा निर्गत किया जायेगा तथा पर्यावरणीय अनुमति के उपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा परियोजना की समाप्ति तक अथवा 05 वर्ष की अवधि जो भी कम हो चुगान पट्टा की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि वे चुगान लॉटों से निकले उपखनिजों का व्यावसायिक उपयोग नही करेंगे"।

उपनिदेशक खनन जनपद पिथौरागढ/चम्पावत के पत्र संख्या 377/जि0टा0फो0/आ0आ0/ 2020-21 दिनांक 24.07.2020 के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना **के अनुसार** जनपदों में खनिज से प्राप्त होने वाली आय सम्बन्धी CTR के माध्मय से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही कार्यदायी संस्थाओं यथा लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग इत्यादि द्वारा जमा की गयी रायल्टी (राजस्व) की पुष्टि होती है। कतिपय अन्य विभागों के नाम CTR में अंकित न होने से किन विभागों से रायल्टी जमा हुई है की जानकारी प्राप्त नही हो पाती है।

वर्ष 2019-20 के दौरान जनपद पिथौरागढ की CTR के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं यथा लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग इत्यादि से ` 19,00,72,453.00 का राजस्व प्राप्त हुआ।

कार्यालय के पत्र संख्या 628/भू0खनि0ई0/2020-21 दिनांक 23 जुलाई, 2020 के द्वारा वांछित सूचना प्राप्ति हेतु समस्त जनपदों के जिलाधिकारियो/जिला खान अधिकारियों एवं पत्र संख्या 630/खनन/भू0खनि0ई0 /2020-21 दिनांक 23 जुलाई, 2020 के द्वारा लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एंव उत्तराखण्ड पेयजल संषाधन विकास एवं निर्माण निगम को पत्र प्रेषित किया गया। अन्य स्तरों से सूचना प्राप्ति पर प्रेषित की जायेगी।

प्रचलित नीति/नियमावली में प्रावधान नही है।

इस कार्यालय के पत्र संख्या 697/खनन/भू0खनि0ई0/ऑडिट-2019-20 दिनांक 30 जुलाई, 2020 के द्वारा आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित की गयी है।

उत्तराखण्ड उपखाि◌नज परिहार नियमावली, 2005 के अध्याय-1 के बिन्दु-03 प्रतिशेध धारा 23ग(1)"कोई भी व्यक्ति, खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा पत्र धारक का पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी अभिवहन पास के बिना किसी खनिज का उसके खनन किये जाने के स्थान से किसी अन्य स्थान पर न परिवहन करेगा न उसे ले जायेगा अथवा न परिवहन करवायेगा और ना ले जाने का कार्य करवायेगा।

उत्तराखण्ड अवैध खनन परिवहन का भण्डारण का निवारण, 2005 (समय समय पर यथा संशोधित) के नियम 13(2)(ख) के अनुसार अवैध भण्डारणकर्ता/अवैध परिवहनकर्ता/अवैध खननकर्ता से अर्थदण्ड की धनराषि रू0 2,00,000/- तक एवं खनिज की मात्रा का विक्रय मूल्य रायल्टी का 05 गुना तक आंगणित कर वसूली की जायेगी।

सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं से सम्बन्धित है। निर्माणदायी/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिज के प्रयोग के समर्थन में संबंधित ठेकेदार द्वारा फॉर्म-एम0एम0-11 एवं फॉर्म-जे उपलब्ध कराये जाने उपरान्त उक्त फॉर्म-एम0एम0-11 एवं फॉर्म-जे की वैधता की पुष्टि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय/जिला खान अधिकारी कार्यालय से करायी जानी चाहिए तथा एक ही रवन्ने को एक ही फार्म दो या अधिक खण्डों में फोटोकॉपी लगाये जाने की स्थिति में उक्त की जांच सक्षम स्तर से कराते हुए नियमानुसार कार्यवाही सम्बन्धित विभाग के द्वारा करायी जानी चाहिए।

उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2005 के अध्याय-1 के बिन्दु-03 प्रतिषेध धारा 23ग(1)"कोई भी व्यक्ति, खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा पत्र धारक का पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी अभिवहन पास के बिना किसी खनिज का उसके खनन किये जाने के स्थान से किसी अन्य स्थान पर न परिवहन करेगा न उसे ले जायेगा अथवा न परिवहन करवायेगा और ना ले जाने का कार्य करवायेगा।

उत्तराखण्ड अवैध खनन परिवहन का भण्डारण का निवारण, 2005 (समय समय पर यथसंषोधित) के नियम 13(2)(ख) के अनुसार अवैध भण्डारणकर्ता/अवैध परिवहनकर्ता/अवैध खननकर्ता से अर्थदण्ड की धनराशि ` 2,00,000/- तक एवं खनिज की मात्रा का विक्रय मूल्य रायल्टी का 05 गुना तक आंगणित कर वसूली की जायेगी।

ऐसे प्रकरण सम्बन्धित विभाग/कार्यदायी संस्था के द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी को सन्दर्भित किये जाने पर तद्नुसार कार्यवाही की जा सकती है।

इस कार्यालय के पत्र संख्या 697/खनन /भू0खनि0ई0/ऑडिट-2019-20 दिनांक 30 जुलाई, 2020 के द्वारा आख्या आवष्यक कार्यवाही हेतु शासन को प्रेशित की गयी है।

वर्तमान में ऑनलाईन ई-रवन्ना की व्यवस्था जिसके अन्तर्गत खनिजों की निकासी हेतु अग्रिम रायॅल्टी जमा किये जाने के उपरान्त ही प्रपत्र एम0एम0-11 जारी होता है।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए इकाई के उत्तर से स्पष्ट हैकि कार्यदायी संस्थाएं जैसे लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग इत्यादि उत्तराखण्ड में कार्यरत अन्य सरकारी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर इत्यादि) के प्रयोग पर देय रायल्टी की कटौती संबंधित ठेकेदारों से की जाती है, जबकि इस प्रकार की गयी रॉयल्टी की कटौती का उत्तराखण्ड उपखनिज नीति 2001 या उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 में प्रावधान नही है।

अतः ऐसे प्रकरण में उत्तराखण्ड अवैध खनन परिवहन का भण्डारण का निवारण, 2005 (समय समय पर यथसंषोधित) के नियम 13(2)(ख) के अनुसार अवैध भण्डारणकर्ता/अवैध परिवहनकर्ता/अवैध खननकर्ता से अर्थदण्ड की धनराशि ` 2,00,000/- तक एवं खनिज की मात्रा का विक्रय मूल्य रायल्टी का 05 गुना तक आंगणित कर वसूली किए जाने हेतु निर्देशक भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई, उत्तराखंड देहारादून द्वारा वाया **पत्र संख्या 697/खनन/भू0खनि0ई0/ऑडिट-2019-20 दिनांक 30जुलाई, 2020 के** द्वारा आख्या आवष्यक कार्यवाही हेतु षासन को प्रेशित की गयी है।

इस प्रकार कार्यदायी संस्थाओ द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज नीति 2001 या उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 में प्रावधान नही होने के बावजूद वर्ष 2019-20 के दौरान जनपद पिथौरागढ की CTR के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं यथा लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग इत्यादि से रू0 19,00,72,453.00 का राजस्व प्राप्त हुआ,जबकिअन्य समस्त जिलो को निर्देशालय द्वारा इस संबंध मै सूचना मांगी गयी है , जो विधि सम्मत नहीं है ।

अतः उत्तराखण्ड उपखनिज नीति 2001 तथा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 में कार्यदायी संस्थाओ द्वारा, जैसे लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग इत्यादि उत्तराखण्ड में कार्यरत अन्य सरकारी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर इत्यादि) के प्रयोग पर रायल्टी की कटौती संबंधित ठेकेदारों सेकिए जाने काप्रावधाननहीहोने के बावजूद, रॉयल्टी की अनियमित रूप से कटौती किए जाने का प्रकरण अवशयक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।